COURT FEE 20 रु. Rs 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE 10 रु. Rs 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

प्रेषित

(164)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 विविध /17 I/विविध/छतरपुर/2०१०/2017/2114

दिनेश तनय श्री माखन लाल पाठक

निवासी ग्राम ककरदा, रा0नि0मं0 ईशानगर,

तहसील व जिला छतरपुर, म0प्र0

---आवेदक

विरूद्व

म0प्र0 शासन ---अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 6/7/17 को ... प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.7.17

R.V. 6/7/17

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–32, मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 – न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख (भू–प्रबंधन) , जिला छतरपुर म0प्र0 द्वारा प्र0क0 127/अ 6 अ/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2006 के आदेशानुसार आवेदक का नाम कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज कराये जाने बावत्।

माननीय न्यायालय,

विविध आवेदन–पत्र

1– यह कि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम ककरदा, रा0नि0मं0 ईशानगर, तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 10/1 जिसका नया नम्बर 10/1/4 है रकवा 2.000 हैक्टेयर लगानी 8.50 पर आवेदक का लगभग 35 वर्ष से खेती कर काबिज है।

2– यह कि आवेदक ने अधीक्षक भू–अभिलेख के न्यायालय में नामांतरण पंजी कमांक–5 वर्ष 1991–92 में पारित आदेश दिनांक 08.11.91 के आदेशानुसार भूमि

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 2114

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर न्यायालय अधीक्षक भू –अभिलेख (भू–प्रबधंन) जिला छतरपुर म0 प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 127 / अ–6 / अ / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 21.11.06 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अन्तर्गत यह विविध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विविध प्रकरण के साथ धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम ककरदा राजस्व निरीक्षक मण्डल ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 10 / 1 जिसका नया नम्बर 10 / 1 / 4 है रकवा 2.000 है0 लगानी 8.50 पर आवेदक का लगभग 35 वर्ष से खेती कर काबिज है। आवेदक ने अधीक्षक भू–अभिलेख के न्यायालय में नामांतरण पंजी कमांक 5 वर्ष 1991–92 में पारित आदेश दिनांक 8.11.91 के आदेशानुसार भूमि खसरा नम्बर 10 / 1 / 4 रकवा 2.000 है0 के पुनः भूमिस्वामी दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त पंजी की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई थी। अधीक्षक भू–अभिलेख छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर इस्तहार जारी किया गया। तत्पश्चात् कोई आपत्ति नहीं आयी। पटवारी रिपोर्ट भी ली गई आवेदक के द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख के न्यायालय में आवेदक द्वारा साक्ष्य अंकित कराई गई तथा गवाह प्रस्तुत किये गये। नामांतरण पंजी कमांक 5 में पारित आदेश दिनांक 08.11.1991 को भूमि खसरा	

नम्बर 10/1/4 में से 2.000 है0 का पटट्ा आवेदक को 02.10. 1984 के तहत प्राप्त हुआ थां; तभी से आवेदक उक्त भूमि पर आज दिनांक तक कृषि कार्य करता चला आ रहा है लेकिन अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 21.11. 2006 का पालन नहीं किया जा रहा है तथा आवेदक का नाम कम्प्यूटर खसरा में तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किये जाने से दुखित होकर यह विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीक्षक भू–अभिलेख जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण की संपूर्ण जांच कर उक्त भूमि का नामांतरण पंजी कमांक 5 के आदेशानुसार पटवारी को राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 21.11.06 द्वारा दिये गये, लेकिन आज दिनांक तक आवेदक का नाम कम्प्यूटर खसरा एवं राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक द्वारा समस्त साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आवेदक के नाम खसरे में उक्त भूमि इन्द्राज करने के आदेश दिये परंतु अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर का आदेश का पालन नहीं किया गया है। अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम कम्प्यूटर खसरा एवं राजस्व अभिलेख में अंकित करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि इतने वर्ष पश्चात राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है उसकी पूर्ण जानकारी धारा–5 में देना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 में जानकारी दी गई है वह

समाधानकारक होने से ग्राह्य किया जाता है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 127/अ–6/अ/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 21.11.06 द्वारा लेख किया गया है कि आवेदक उपस्थित होकर नामांतरण पंजी कमांक–5 वर्ष 1991–92 में पारित आदेश दिनांक 8.11.91 के अनुसार भूमि खसरा कमांक 10/1/4 रकवा 2.000 है0 को पुनः भूमिस्वामी स्वत्व किये जाने का आवेदन दिया। प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर इश्तहार जारी किया गया कोई आपत्ति नहीं आई । आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य अंकित कराई तथा गवाह के रूप में हल्के राजा, एवं बिहारी साहू के कथन अंकित कराये। नामांतरण पंजी कमांक–5 वर्ष 1991–92 में पारित आदेश दिनांक 8.11.91 के अनुसार भूमि खसरा कमांक 10/1 /4 रकवा 2.000 है0 का सुधार करने का आदेश पारित किया गया है, तथा इसी तारतम्य में अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबधन) जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 127/अ–6/6/05–06 दिनांक 12.11.09 द्वारा तहसीलदार तहसील छतरपुर को कम्प्यूटर रिकार्ड अद्यतन कराने का पत्र जारी किया है उसके बाद भी आवेदक का नाम अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया तो कलेक्टर जिला छतरपुर ने दिनांक 12.10.15 द्वारा आदेशित किया कि नियमानुसार रिकार्ड दुरस्त करायें उसके पश्चात भी कम्प्युटर रिकार्ड में खसरा कमांक 10/1/4 रकवा 2.000 है0 तहसीलदार/पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम की पृविष्टि नहीं की, तहसीलदार/पटवारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया और राजस्व अभिलेख में भी सुधार नहीं किया। अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर के आदेश

दिनांक 21.11.06 के पालन में नामांतरण पंजी कमांक–5 वर्ष 1991–92 में पारित आदेश दिनांक 8.11.91 के अनुसार भूमि खसरा कमांक नया नम्बर 10 / 1 / 4 रकवा 2.000 है0 का राजस्व अभिलेख में अधीक्षक भू–अभिलेख जिला छतरपुर के आदेशानुसार पालन करें। प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य